Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **जयपुर में जलदाय विभाग के कनिष्ठ अभियंता एवं कनिष्ठ सहायक 21 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *21 अगस्त,सोमवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर जयपुर नगर तृतीय इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये मोहित कुमार सिंघल, कनिष्ठ अभियंता, जलदाय विभाग, कार्यालय सहायक अभियंता उपखण्ड द्वितीय उत्तर जयपुर एवं रविन्द्र सिंह राठौड़, कनिष्ठ सहायक जलदाय विभाग, कार्यालय सहायक अभियंता उपखण्ड द्वितीय उत्तर जयपुर को परिवादी से **21 हजार रूपये** की रिश्वत लेते हुये गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की जयपुर नगर तृतीय इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके फ्लेट पर पानी का कनेक्शन लगाने की एवज में मोहित कुमार सिंघल, कनिष्ठ अभियंता, जलदाय विभाग, कार्यालय सहायक अभियंता उपखण्ड द्वितीय उत्तर जयपुर एवं रविन्द्र सिंह राठौड़, कनिष्ठ सहायक जलदाय विभाग, कार्यालय सहायक अभियंता उपखण्ड द्वितीय उत्तर जयपुर द्वारा **22 हजार रूपये** रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी जयपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री डॉ. रवि** के सुपरवीजन में एसीबी जयपुर नगर तृतीय इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री हिमांशु** के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **उप अधीक्षक पुलिस श्री सुरेश कुमार स्वामी** द्वारा मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुये मोहित कुमार सिंघल पुत्र श्री हरिशंकर गुप्ता, निवासी मु. पोस्ट ठिकरीया महसील सिकराय जिला दौस वर्तमान मकान नं. 180/174 सेक्टर–18 प्रतापनगर जयपुर हाल कनिष्ठ अभियंता, जलदाय विभाग, कार्यालय सहायक अभियंता उपखण्ड द्वितीय उत्तर जयपुर एवं रविन्द्र सिंह राठौड़ पुत्र स्व. श्री हनुमान सिंह राठौड़ निवासी 90 श्री नारायण वाटिका बालाजी विहार 62 के सामने निवारू जयुपर हाल कनिष्ठ सहायक जलदाय विभाग, कार्यालय सहायक अभियंता उपखण्ड द्वितीय उत्तर जयपुर को परिवादी से **21 हजार रूपये** की रिश्वत राशि लेते हुये गिरफ्तार किया गया

एसीबी के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री डॉ. रवि के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।